न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 11/2021
दायर दिनांकः 20.10.2021
निर्णय दिनांक 10.12.2024

—: अनवान :—

1. भंवरलाल पिता नाथूलाल जी जाति लौहार आयु 78 वर्ष
2. शंकरलाल पिता भंवरलाल जी जाति लौहार आयु 48 वर्ष
3. श्रवणलाल पिता भंवरलाल जी जाति लौहार आयु वयस्क

निवासीयान रूघनाथपुरा, तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार राजसमन्द पत्रावली संख्या 06/2021 ना0 कब्जा आदेश दिनांक 24.08.2021

उपस्थितः—

1— श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्टस
2— श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजसमन्द पत्रावली संख्या 06/2021 ना0 कब्जा आदेश दिनांक 24.08.21 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का धायंला ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण दुकाने बनाने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 आर0एल0आर0 एक्ट के तहत सूचना पत्र दिया गया, जिस पर अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया, और मामले में गवाह प्रस्तुत करने हेतु भी निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब लेकर आयन्दा गवाह सबूत प्रस्तुत करने हेतु पेशी देने का कह कर अपीलान्ट को यह कहकर रवाना किया कि आगामी पेशी से अवगत करवा देगे। पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को ही मामले में आदेश दे दिये गये थे, और अतिक्रमण हटाने का भी हुक्म हुआ है अपीलान्ट के पिता के समय की आराजी संख्या 224 जो कि बहुत बड़ा रकबा है, उसमें से चार बीघा

न्यायालय जिला कलक्टर

सोलह बिस्वा भूमि आंवटित हुई थी तथा कुल दस बीघा भूमि पर कब्जा था। आज से 25 वर्ष पहले आ0न0 224 में से 6 बिस्वा भूमि का उधोग में रूपान्तरण भी कराया गया है, जिसके आ0न0 282/224 बने तथा आ0न0 224/65 पर बहुत पुराना कब्जा होकर 70 वर्षो से अपीलान्ट भंवरलाल के पिता के समय का मकान बना हुआ था, जिसमें पुरा परिवार निवास करता था, बाद में पता चला कि आ.नं. 224 बिलानाम भूमि है, पूरे गांव वालों के मकान बने हुए है, अपीलान्ट ने अपने पुराने मकान को गिराकर नया निर्माण किया, लोगों ने शिकायत कर कार्य रूकवाया है, मकान 70 वर्ष पुराना था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से तोड कर नया निर्माण किया गया है। अपीलान्ट ने पुराने स्थान पर ही निर्माण किया, अन्य लोगों के मकान के सरवेले में ही निर्माण किया है। निर्माण कार्य ध्वस्त करने से अपीलान्ट को भारी क्षति होगी, अपीलान्ट ने कर्जा लेकर रोटी कमाने के लिए मकान को गिराकर निर्माण कार्य किया है, यदि निर्माण हटाया जाता है तो अपीलान्ट बर्बाद हो जायेगा। अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजसमन्द पत्रावली संख्या 06/2021 ना0 कब्जा आदेश दिनांक 24.08.21 में पटवारी हल्का धायंला ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण दुकाने बनाने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 आर0एल0आर0 एक्ट के तहत सूचना पत्र दिया गया, जिस पर अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया, और मामले में गवाह प्रस्तुत करने हेतु भी निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब लेकर आयन्दा गवाह सबूत प्रस्तुत करने हेतु पेशी देने का कह कर अपीलान्ट को यह कहकर रवाना किया कि आगामी पेशी से अवगत करवा देगे। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को ही मामले में आदेश दे दिये गये थे। जिससे अपना पक्ष रखने का सम्पूर्ण अवसर प्राप्त नही हुआ। अपीलान्ट का मकान 70 वर्ष पुराना था। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का धायॅला द्वारा प्रस्तुत पी–14 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी व अन्य ने ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित प्रश्नगत राजकीय बिलानाम आराजी नं. 224/264 रकबा 03–12 बीघा में से 10 बीस्वा भूमि पर दुकानो का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया हैं। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी व अन्य के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण पजींकृत किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जारी नोटिस के जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 224 में अप्रार्थी को पूर्व में 16 बिस्वा भूमि आवंटन हुई। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का 10 बीघा भूमि पर अपने पिता के समय से कब्जा व उपयोग उपभोग हैं। अप्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त भूमि पर लगभग 70 वर्ष से अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया हैं परन्तु अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 70 वर्षों से कब्जे संबंधी पुष्टि में कोई दस्तावेज/शहादत पेश नही की। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करने से अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली आदेश पारित किये गये। और अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में भी अपने पुराने कब्जे संबंधी पुष्टि में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये। प्रश्नगत आराजी बिलानाम होना निर्विवादित हैं एवं बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण से बेदखली आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 24.08.2021 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद